



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082022-238386
CG-DL-E-25082022-238386

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3848]
No. 3848]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

का.आ. 4042(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 372 (अ) तारीख 5 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है। उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 25 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“25	तेलंगाना	महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
		महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, साइबराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
		प्रधान विशेष न्यायाधीश न्यायालय, सीबीआई मामलों के विचारण हेतु, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
		। अपर विशेष न्यायाधीश न्यायालय, सीबीआई मामलों के विचारण हेतु, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य

	II अपर विशेष न्यायाधीश न्यायालय, सीबीआई मामलों के विचारण हेतु, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	III अपर विशेष न्यायाधीश न्यायालय, सीबीआई मामलों के विचारण हेतु, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	I अपर विशेष न्यायाधीश न्यायालय, एसपीई और एसीबी मामलों के लिए, स्थित हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	विशेष न्यायाधीश न्यायालय-सह-XXII अपर मुख्य न्यायाधीश, हैदराबाद, आर्थिक अपराधों के अधीन मामलों के विचारण हेतु	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	अपर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	II अपर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	IV अपर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	VII अपर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य
	VIII अपर महानगर सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हैदराबाद	संपूर्ण तेलंगाना राज्य

[फा. सं. सी-18015/3/2013-एड.ईडी (भाग-1)]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, का.आ. संख्यांक 372(अ) तारीख 05 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. संख्यांक 1420(अ) तारीख 5 मई, 2017 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2022

S.O. 4042(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money – laundering Act, 2002 (15 of 2003) and in consultation with the Chief Justice of High Court of Telangana, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 372(E) dated the 5th February, 2016. In the said notification, in the table, for S.No. 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“25	Telangana	Court of Metropolitan Sessions Judge, Hyderabad	The entire State of Telangana
		Court of Metropolitan Sessions Judge, Cyberabad	The entire State of Telangana
		Court of Principal Special Judge for trial of CBI cases, Hyderabad	The entire State of Telangana
		Court of I Additional Special Judge for trial of CBI cases, Hyderabad	The entire State of Telangana
		Court of II Additional Special Judge for trial of CBI cases, Hyderabad	The entire State of Telangana

	Court of III Additional Special Judge for trial of CBI cases, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of I Additional Special Judge for SPE & ACB cases at Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of Special Judge for trial of cases under Economic Offences-cum-XXII Addl. Chief Judge, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of I Addl. Metropolitan Sessions Judges, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of II Addl. Metropolitan Sessions Judges, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of IV Addl. Metropolitan Sessions Judges, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of VII Addl. Metropolitan Sessions Judges, Hyderabad	The entire State of Telangana
	Court of VIII Addl. Metropolitan Sessions Judges, Hyderabad	The entire State of Telangana

[F. No. C-18015/3/2013-Ad.ED (Part-I)]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Note : The Principal Notification was published vide number S.O. 372 (E) dated 5th February, 2016 and subsequently amended vide number S.O. No. 1420 (E) dated 05.05.2017.